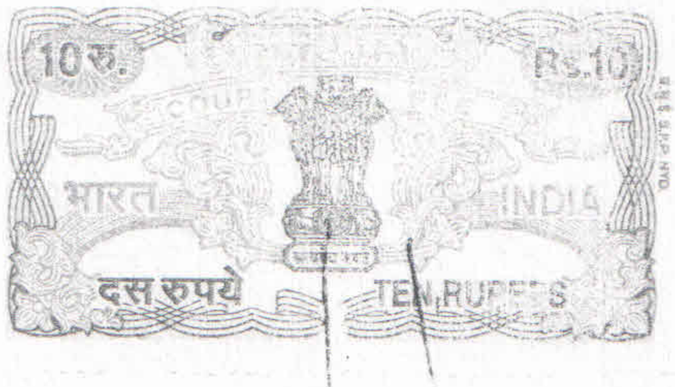

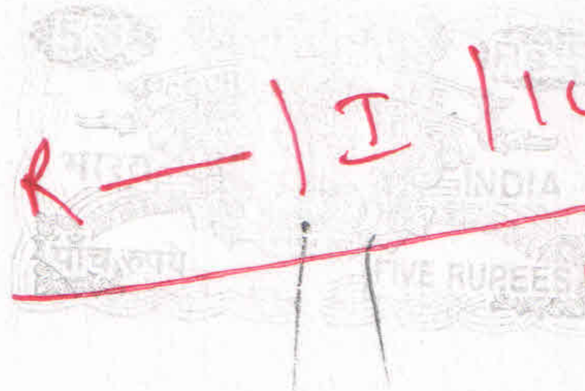

समक्ष माननीय बोर्ड ऑफ रेवेन्यू महोदय, ग्वालियर (म.प्र.)

रिवीजन क्र...../14

ख्यालीराम पिता फूलचंद तेली,
उम्र : 70 वर्ष, धन्धा: खेती
निवासी : ग्राम जागोली (तेलनखेड़ी),
तहसील व जिला नीमच (म.प्र.)

......आवेदक

विरूद्ध

म.प्र. शासन
द्वारा: कलेक्टर, नीमच

....अनावेदक

रिवीजन अंतर्गत धारा 50 म.प्र. भू-राजस्व संहिता, 1959

श्रीमान् कलेक्टर महोदय, नीमच, जिला नीमच (म.प्र.) द्वारा प्र.क्र. 07/अ-19(4)/2003-04 में पारित आदेश दिनांक 22.03.04 के विरूद्ध रिवीजन एवं श्रीमान् आयुक्त महोदय, उज्जैन सम्भाग, उज्जैन द्वारा अपील प्र.क्र. 157/2004-05/अपील में पारित आदेश दिनांक 11.10.05 के विरूद्ध रिवीजन

माननीय महोदय,

55

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी –एक/2014 (ख्यालीराम/शासन) जिला नीमच

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
09–09–2014	आवेदक ने यह निगरानी कलेक्टर जिला नीमच के आदेश दिनांक 22–03–2004 के विरूद्ध दिनांक 9–9–2014 को लगभग 10 वर्ष से भी अधिक विलम्ब से प्रस्तुत की । समयसीमा के प्रश्न पर आवेदक को सुना गया । आवेदक का तर्क है कि अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही प्रारम्भ होने पर उसने यह निगरानी पेश की है । 2– आवेदक की जानकारी में कलेक्टर तथा आयुक्त के आदेश पारित हुये हैं । आवेदक का यह तर्क स्वीकार योग्य नहीं है कि पूर्व में उन्होंने इसलिये यह निगरानी नहीं की थी क्योंकि बेदखली की कार्यवाही नहीं हो रही थी । यदि ऐसा था तो उस समय उन्होंने आयुक्त के समक्ष अपील की कार्यवाही क्यों की थी, यह स्पष्ट नहीं किया गया है । वैसे भी यह प्रकरण शासकीय भूमि के आवंटन का है तथा अधीनस्थ न्यायालयों ने प्रश्नाधीन भूमि को आवंटन योग्य भूमि नहीं माना था तथा तत्समय निगरानी पेश न करने का यही अर्थ था कि वह आदेश से सहमत था । ऐसी स्थिति में आवेदक द्वारा विलम्ब माफ करने के बताए गये कारण पर्याप्त न होने से यह निगरानी समयबाह्य होने से अग्राह्य की जाती है । **प्रशासकीय सदस्य**	

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी –एक/2014 जिला नीमच

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
09–09–2014	आवेदकपक्ष की ओर से अधिवक्ता श्री एम0शरीफ मंसूरी एवं श्री एस0के0श्रीवास्तव उपस्थित । अनावेदक शासन की ओर से श्री एच0के0अग्रवाल, पेनल अधिवक्ता उपस्थित । उन्हें ग्राह्यता पर सुना । प्रकरण ग्राह्यता के बिन्दु पर आदेशार्थ । **प्रशासकीय सदस्य**	